



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 808]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 20, 2009/वैशाख 30, 1931

No. 808]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 20, 2009/VAISAKHA 30, 1931

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2009

का.आ. 1293(अ).—केन्द्रीय सरकार, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विशेष आर्थिक जोन (दूसरा संशोधन) नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 के उप-नियम (1) में खंड (यड) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(यच)” “रिक्त भूमि से ऐसी भूमि अभिप्रेत है जहाँ कोई प्रचालनरत पत्तन, विनिर्माण इकाइयाँ, औद्योगिक क्रियाकलाप या ऐसी संरचनाएँ नहीं हैं, जिनमें कोई वाणिज्यिक या आर्थिक क्रियाकलाप चल रहे हों।”

3. मूल नियम में नियम 5 के उप-नियम (2) के खंड (क) में परंतुकों के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह भी कि केन्द्रीय सरकार 5000 हेक्टेयर से अधिक परिणामी विशेष आर्थिक जोनों का कुल क्षेत्र होते हुए भी संलग्न विद्यमान अधिसूचित विशेष आर्थिक जोनों को मिलाने के गुणागुण पर विचार कर सकेगी।”

4. मूल नियम में नियम 19 के उप-नियम (2) के परंतुकों के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“परन्तु अनुमोदन समिति ब्रॉड-बैंडिंग, विविधीकरण, उत्पादन क्षमता की वृद्धि, विनिर्माण या सेवा क्रियाकलाप की मदों में परिवर्तन करने के प्रस्तावों का भी अनुमोदन कर सकेगी, यदि वे नियम 18 की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं :—

परन्तु यह और कि अनुमोदन समिति द्वारा उन मामलों में ऐसा कोई अनुमोदन प्रदान नहीं किया जाएगा, जो अनुमोदन बोर्ड की सक्षमता के अंतर्गत आते हैं :

परन्तु यह भी कि अनुमोदन समिति किसी अनुमोदित इकाई के उद्यमकर्ता के परिवर्तन का भी अनुमोदन कर सकेगी यदि भावी-उद्यमकर्ता विद्यमान इकाई की आस्तियों और दायित्वों को लेने का वचन देता है।”

[फा.सं. एफ-1/144/2007-एसईजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में सं. सा.का.नि. 54 (अ) तारीख 10 फरवरी, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और (i) की अधिसूचना सं. सा. का.नि. 470 (अ) तारीख 10 अगस्त, 2006; (ii) सं. सा.का.नि. 393 (अ) तारीख 16 मार्च, 2007; (iii) सं. सा.का.नि. 1744 (अ) तारीख 12 अक्टूबर, 2007; (iv) सं. सा.का.नि. 2661 (अ) तारीख 14 नवम्बर, 2008; और (v) सं. सा.का.नि. 72 (अ) तारीख 3 फरवरी, 2009 द्वारा उनका पश्चात्पूर्वी संशोधन किया गया।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th May, 2009

S.O. 1293(E).—In exercise of the powers conferred by Section 55 of the Special Economic Zone Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Special Economic Zone Rules, 2006, namely :—

1. (1) These rules may be called the Special Economic Zones (Second Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Special Economic Zone Rules, 2006, (hereinafter referred to as the principal Rules), in rule 2, in sub-rule (1), after clause (ze), the following clause shall be inserted namely :—

“(zf) “Vacant Land” means the land where there are no functional ports, manufacturing units, industrial activities or structures in which any commercial or economic activity is in progress”.

3. In the principal rules, in rules 5, in sub-rule (2), in clause (a) after the provisos, the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided also that the Central Government may consider on merit the clubbing of contiguous existing notified Special Economic Zones notwithstanding that the

total area of resultant Special Economic Zones exceeds 5000 hectares”.

4. In the principal rules, in rule 19, in sub-rule (2), for the provisos, the following provisos shall be substituted, namely :—

“Provided that the Approval Committee may also approve proposals for broad-banding, diversification, enhancement of capacity of production, change in the items of manufacture or service activity, if it meets the requirements of rule 18 :

Provided further that no such approval shall be granted by the Approval Committee in those cases which fall within the competence of the Board of Approval :

Provided also that the Approval Committee may also approve change of the entrepreneur of an approved unit, if the incoming entrepreneur undertakes to take over the assets and liabilities of the existing Unit”.

[F. No. F. 1/144/2007-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.

Note:— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R. 54(E), dated the 10th day of February, 2006 and subsequently amended *vide* notification number (i) G.S.R. 470 (E), dated the 10th day of August, 2006, (ii) G.S.R. 393 (E), dated the 16th day of March, 2007; (iii) G.S.R. 1744 (E), dated the 12th day of October, 2007; (iv) S.O. 2661 (E), dated the 14th day of November, 2008; and (v) G.S.R. 72 (E), dated the 3rd February, 2009.